भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2660 का उत्तर

अग्रिम टिकट आरक्षण अवधि को कम करना

2660. श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल में अग्रिम टिकट आरक्षण अवधि को कम करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए नियम से वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता में सुधार होगा और टिकट रद्द होने और पोर्टल पर शो-नो की घटनाओं में कमी आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान सर्वर डाउन होने के कारण आम जनता को टिकट नहीं मिल पाती है और इसका फायदा एजेंटों और माफिया लोगों को मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने और आम जनता को तत्काल टिकट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): 01.11.2024 से, अधिकांश मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि घटाकर यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन कर दी गई है। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी दिन के समय चलने वाली कतिपय एक्सप्रेस गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण के लिए निम्नत्तर समय-सीमा पहले से लागू थी। बुकिंग की प्रवृत्ति को ध्यान

में रखते हुए और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण टिकटों के रद्दकरण की संख्या को कम करने के लिए भी यह बदलाव किया गया है।

(ग) और (घ): भारतीय रेल में, मांग का स्वरूप पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है तथा यह गैर-व्यस्त तथा व्यस्त अवधि में बदलता रहता है। अधिक व्यस्त अवधि में, विशेषकर लोकप्रिय मार्गों पर गाड़ियां पूर्ण अधिभोग के साथ चलती हैं, जबकि गैर-व्यस्त अवधि में तथा कम लोकप्रिय मार्गों पर गाड़ियों की अधिभोगिता कम रहती है। यह सामान्य तथा तत्काल एकोमोडेशन दोनों के लिए लागू है। बहरहाल, तत्काल एकोमोडेशन के दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. भारतीय रेल/आईआरसीटीसी के सभी अधिकृत टिकट एजेंटों को वातानुकूलित श्रेणियों के टिकटों के लिए 1000 बजे से 1010 बजे के बीच तथा गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के टिकटों के लिए 1100 बजे से 1110 बजे के बीच तत्काल टिकट बुक करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ii. अग्रिम आरक्षण अवधि कम होने को देखते हुए तथा इस योजना को अवांछित तत्वों/दलालों के लिए आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से, योजना के धन वापसी नियमों को कठोर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कन्फर्म तत्काल टिकटों पर कोई धन वापसी नहीं की जाती है।
iii. तत्काल योजना के तहत बुक किए गए टिकटों के मामले में, यात्रा के दौरान, उस टिकट पर बुक किए गए यात्रियों में से किसी एक को पहचान के निर्धारित प्रमाणों में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, ऐसा न करने पर उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाता है और तदनुसार उनसे प्रभार वसूले जाते हैं।
iv. तत्काल योजना के तहत की गई बुकिंग पर नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

*****

SK